

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ आदेश ॥

पटना -15, दिनांक 9.7.19


संख्या 12/40-5001/17 सा।प्र. 9158 / बिहार लोक सेवा आयोग, पटना दिनांक 12.07.2019, 13.07.2019, 14.07.2019 एवं 16.07.2019 को एक पाली में (01 बजे अपराह्न से 04 बजे अपराह्न तक) आयोजित 64वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा को सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संपन्न कराने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता स्तर एवं उप रायिव स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों को सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में कार्य करते हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम एवं कोटि क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	मोबाइल नं०
1	2	3	4
1	श्री कमलेश सिंह, 659/11	विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना (अपर समाहर्ता स्तर में उत्कृष्ट)	9334473045
2	श्री सुधाशु कुमार सिंह, 757/11	उप सचिव, सहकारिता विभाग, पटना (अपर समाहर्ता स्तर में उत्कृष्ट)	9931055944
3	श्री निरोज कुमार भगत, 779/11	संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पटना (अपने वेतनमान में)	8986211181
4	श्री रंजीत कुमार, 818/11	उप सचिव, उद्योग विभाग, पटना। (अपर समाहर्ता स्तर में उत्कृष्ट)	8084092191
5	श्री अरशद फिरोज, 650/11	उप सचिव, शिक्षा विभाग, पटना।	9801304050
6	श्री महावीर प्रसाद शर्मा, 782/11	भू-संपदा पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।	9771654311
7	श्री राजेश परिमल, 902/11	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना।	8986922279
8	श्री इब्रार अहमद खॉं, 951/11	सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।	
9	श्री सुधीर कुमार, 1109/11	उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, पटना	9431632003
10	श्री विनय कुमार ठाकुर, 1011/11	सहायक निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना।	943170644

2. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 11.07.2019 को 3.30 बजे अपराह्न में आयोग कार्यालय में आयोजित ब्रीफिंग कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर स्वतः अपने पदस्थापनावाले पद पर योगदान कर लेंगे।


(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर रायिव

ज्ञापक 12/40-5001/17 सा।प्र. 9158 / पटना, दिनांक 9.7.19
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/रायिव, सभी संबंधित विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आर्त्त रायिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य रायिव के प्रधान आर्त्त रायिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने)/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर रायिव